ऑन लाईन नं. RCMS 2023/98

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 19/2023

1. हरीराम पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राकेश पुत्र श्री बंशीलाल जाति बिश्नोई निवासी 71 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. पूराराम पुत्र श्री लूना राम जाति चमार निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर अनवानी पूराराम बनाम हरीराम वगैरा, प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 10.05.2023 अन्तर्गत धारा 183 आरटीए को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :
1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री भगत सिंह जाखड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: **दिनांक :–31.05.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि:–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय, खिलाफ कानून, विधि विरूिद्व, तथ्यों के विपरित पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश की प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि प्रकरण के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता लूना राम पुत्र रावताराम जाति चमार निवासी घमडिया के नाम तहसील पदमपुर के चक 78 एलएनपी के खाता सख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.036 हैक्टयर नहरी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता लगभग 20 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। लूनाराम के जायज 6 वारिसान ने मौखिक सहमति द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट पूराराम को कश्त करने हेतु दे रखी थी। पूराराम द्वारा कुछ वर्षो तक काश्त की गई बाद में उक्त भूमि पूराराम द्वारा मौखिक रूप से ठेका काश्त हेतु हरीराम पुत्र सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी घमण्डिया को एक वर्ष के लिये दे दी। उक्त अवधि अप्रैल 2023 को पूरी हो गई। उक्त अवधि पूरी होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि छोड़ने को कहा, क्योंकि उक्त भूमि पर मुझे खुद काश्त करनी थी, उसके द्वारा मुझ प्रार्थी के उक्त रकबा का कब्जा नहीं दिया गया और कहा कि मै अब इस तुम्हारी जमीन को नहीं छोडूंगा, और काबिज रहूंगा, और कब्जा छोड़ने से इन्कार हो गया, जिस बाबत हमने कई बार पंचायते भी की थी, इसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 राकेश से काश्त करवाने लगा, और उनको ठेके पर दे दी , जब प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2 से मिला तो राकेश ने कहा कि मुझे उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हरीराम ने ठेके पर दी है, मै आपके कहने से उक्त भूमि का कब्जा नहीं छोडूंगा,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वर्तमान में भी उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कहने से अप्रार्थी संख्या 2 राकेश के कब्जा में है, अप्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति के है और मै प्रार्थी अनुसूचित (चमार) जाति का हूँ और अप्रार्थीगण जबरदस्ती कब्जा बनाये रखे हुये है, इस दौरान काफी पंचायत भी हुई है, लेकिन अप्रार्थीगण ने मुझे/प्रार्थी की भूमि का कब्जा नहीं छोडा और बतौर अतिक्रमि काबिज है, जिनको बेदखल करने का प्रार्थी को अधिकार है, जिस पर मै प्रार्थी आज से कुछ रोज पूर्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मिला और उक्त भूमि का कब्जा छोड़ने हेतु तकाजा किया तो अप्रार्थीगण बिलकुल ही इन्कार हो गये, और कहने लगे कि हम इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा बनाये रखेगें और तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे, का कहते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया।

3. यह कि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये और भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट पूराराम के पिता लूनाराम पुत्र श्री रावताराम द्वारा सोहन लाल पिता अपीलांट हरीराम को जरिये ईकरारनामा दिनांक 02.09.1968 को विकय करना व कब्जा भूमि हरीराम को दे देने का कहा और प्रार्थना पत्र धारा 183–बी मियाद बाहर होने का कहा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश से चक 78 एलएनपी के खाता संख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 3.0336 हैक्टयर भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है और अप्रार्थी/अपीलांट को भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा खातेदार के वारिसान को दिलवाने का आदेश पारित किया है। आदेश अधीनस्थ न्यायलाय खिलाफ कानून, तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि तहसील पदमपुर के चक 78 एल.एन.पी. के खाता संख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 14 ता 25 की भूमि लूणाराम पुत्र श्री रावताराम को आवंटित हुई थी और लूणाराम पुत्र श्री रावताराम ने अपने जीवनकाल में आवंटित उक्त भूमि मुबलिग 24,000/– रूपये जरिये ईकरारनामा सोहनलाल पुत्र श्री ठाकर राम निवासी 71 एल.एन.पी. को बरोबरू गवाहान दिनांक 02.09.1968 को विकय कर खाली जमीन का कब्जा दे दिया था और बरोबरू गवाहान ईकरारनामा निष्पादित कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली थी। ईकरारनामा में खाली जमीन का दे दिया है का वर्णन कर दिया था। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर सोहनलाल पुत्र श्री ठाकरराम की सहमति से लूणाराम पुत्र श्री रावताराम काबिज हुआ था और उक्त भूमि पर सोहनलाल, लूणाराम की सहमति से अपने जीवनकाल तक काबिज रहा था ओर सोहन लाल के देहान्त के बाद सोहनलाल का पुत्र हरीराम उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। सोहन लाल व हरीराम वादग्रस्त भूमि पर लूणाराम की सहमति से काबिज होने से धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने का था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। लूणाराम द्वारा निष्पादित ईकरारनामा की प्रति सलंग्न अपील है।

5. यह कि धारा 183–बी के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूचि 1 द्वारा निर्धारित की गई है। रेस्पोडेन्ट ने धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र जुलाई–2022 में प्रस्तुत किया था। भूमि के खातेदार रेस्पोडेन्ट के पिता लूणाराम ने अपीलाधीन भूमि का कब्जा दिनांक 02.09.1968 को सोहनलाल पुत्र श्री ठाकरराम को दे दिया था और रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र कब्जा देने के 54 वर्ष बाद प्रस्तुत किया था जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर न तो विवाधक कायम किया और ना ही मियाद का बिन्दू निर्णय में निर्णित किया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी कब्जा देने के 54 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया होने से मियाद बाहर था और

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को निर्णित न कर कानूनी भूल की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पिता लूणाराम पुत्र श्री रावताराम ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिनांक 02.09.1968 को अपीलांट हरीराम के पिता सोहन लाल को दे दिया था, लूणाराम के अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज न होने से उक्त भूमि में लूणाराम के अधिकार समाप्त हो गये थे और प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार विरासतन प्राप्त नही हुए थे। उक्त भूमि में लूणाराम व पूराराम के काश्तकारी अधिकार धारा 63(4) आरटीए के तहत समाप्त हो जाने से प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की अवहेलना करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि अपीलांट के पिता सोहन लाल पुत्र श्री ठाकरराम अपने जीवनकाल में अपीलाधीन भूमि पर खातेदार लूणाराम की सहमति से काबिज रहकर फसल काश्त करते रहे और सोहनलाल की मृत्यु के बाद अपीलांट हरीराम, लूणाराम व पूराराम की सहमति से उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है ऐसी सूरत में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है।

8. यह कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट सोहनलाल जरिये ईकरारनामा काबिज हो गये थे और सिंचाई विभाग द्वारा उक्त भूमि की पानी की पर्ची सोहनलाल के नाम से बना दी गई थी, वादग्रस्त भूमि की पानी की पर्ची सोहनलाल के नाम से विभाग द्वारा जारी कर देने से पूराराम व लूणाराम का कब्जा न होना साबित था, लूणाराम के जीवनकाल में लूणाराम का कब्जा न होने से पूराराम को कोई भूमि का कब्जा नहीं मिला था, पूराराम ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं काश्त करना व भूमि हरीराम अपीलांट को ठेके पर देने का झूठा कथन किया था। सोहन लाल के नाम जारी पानी की पर्ची सलंग्न अपील है।

9. यह कि अपीलांट के पिता सोहन लाल ने उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 02.09.1968 को प्रतिफल अदा कर बरोबरू गवाहन खरीद की थी। सोहन लाल ने उक्त ईकरारनामा अपने घर में पुराने कागजों में रख दिया था। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2023 को पारित होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर श्रीगंगानगर के अभिभाषक से मिले तो श्रीगंगानगर के अभिभाषक ने अपीलांट के उक्त भूमि पर किस आधार पर काबिज होन का कहा तो अपीलांट ने कहा कि मेरे पिता ने यह भूमि ईकरारनामा से खरीद की थी और ईकरारनामा उन्होने घर पर ही रख दिया था तो अपीलांट अभिभाषक के कहने पर ईकरारनामा की तलाश की गई तो उक्त ईकरारनामा की असल प्रति अपीलांट को अपने घर में रखे कागजों में प्राप्त हुई। उक्त ईकरारनामा असल दस्तावेज है जो 30 साल से पुराना दस्तावेज है जिसके सही होने की कानूनी अवधारणा है। अपीलांट को ईकरारनामा न मिलने से अधीनस्थ न्यायालय में ईकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर सके थे। अपीलांट द्वारा उक्त ईकरारनामा अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील में दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी सूरत में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनाक 10.05.2023 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी खारिज फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के पिता लूनाराम पुत्र रावताराम जाति चमार करीबन 20 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है, लूनाराम की मृत्यु के बाद उनके 6 जायज वारिसान थे, जिनमें से सभी ने अपनी मौखिक सहमति द्वारा उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी को काश्त करने हेतू दे रखी थी, और उक्त भूमि पर मै प्रार्थी मृतक लूणा राम के वारिस होने के नाते भूमि पर काबिज था, तथा कुछ वर्षो तक उक्त भूमि मुझ प्रार्थी द्वारा स्वयं काश्त की जाती थी। आवंटी लूणाराम पुत्र रावताराम जाति चमार निवासी घमण्डिया अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा भूमि का खातेदार मालिक है। आंवटी द्वारा कभी भी उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 1 अथवा 2 को नहीं किया है उक्त विवादित वर्णित भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा अवैध है। अपीलांट के पास कोई ईकरारनामा मूल नहीं है ही नहीं। उनके द्वारा कोई ईकरारनामा तैयार किया गया है तो वह फर्जी है। अपीलांट के पास अगर ईकरारनामा होता तो वे अपीलांट कोर्ट में अवश्य पेश करते । अगर अपीलाट अब फर्जी ईकरारनामा पेश करते है तो वह मान्य नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट में उक्त ईकरारनामा पेश नहीं किया गया था अब अपीलांट कोर्ट में उक्त ईकरारनामा (असल दस्तावेज) पेश नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा जिस ईकरारनामा की फोटो प्रति उक्त अपील में पेश की है उस पर अंगूठा किसका है अंकित नहीं है। अपीलांट द्वारा कब्जा लेने बाबत कोई सबूत ना ट्रायल कोर्ट में पेश किया है ना ही वर्तमान प्रकरण में पेश किया है। अपीलांट द्वारा फर्जी ईकरारनामा के आधार पर कब्जा किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निम्नलिखित नजीर पेश की है :—

1. 2016 (3) डी.एन.जे.(राज.) पेज—1149 से 1151

> सिविल प्रकिया संहिता, 1908—आदेश 1 नियम 10—याचीगण के रूप में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र—आवेदकों ने पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रश्नगत भूमि क्रय की और तर्क दिया कि वे आवश्यक पक्षकार है—याचीगण ने याचिका वापस लेना चहा— भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की थी और बैंक ने भूमि नीलाम की—याचीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है— भूमि का हस्तान्तरण अवैध था तथा राजस्व मण्डल ने हस्तान्तरण अपास्त किया तथा नामान्तरकरण निरस्त किया— भूमि का हस्तान्तरण शून्य है— निर्णीत, प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

2. आर.आर.डी. 2007 पेज— 446

> बिन्दू संख्या—11 प्रकरण में मूल बिन्दू यह है कि अप्रार्थीगण जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के है, की भूमि पर प्रार्थीगण जो कि अन्य जाति के है एक राजीनामा/इकरारनामे के आधार पर अपना हक जताना चाहते है जबकि विभिन्न न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनकी प्रार्थना को समय— समय पर अस्वीकार किया जाता रहा है तथा अब इस प्रकरण में प्रार्थीगण को अनुतोष देने का कोई वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। धारा 183—बी के सम्बन्ध में प्रस्तुत नजीर 2004 आर.बी जे पेज—244 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है—
>
> "Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 183-B and Code of Civil Procedue, 1908- Section 10- Provisions of Section 183-B are for the benefit of Scheduled Caste an Scheduled Tribe- Application is to be disposed of summarily- Proceedings cannot be stayed- The present applicant submiastted an application under Section 10 of the CPC on the plea that disputed land is of Joint Khatedari and same has not been partitioned, therefore, application under Section 183-B of the Rajasthan Tenancy Act is not maintainable. The Board of Revenue held that the provisions of Section 183-B are for the benefit of Scheduled Caste and Scheduled Tribe and the application U/s 183-B is to be disposed of summarily. Therefore, proceeding cannot be stayled . Revision dismissed"

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

3 आर.आर.डी. अप्रैल 2005 पेज– 256–258

Rajasthan Tenancy Act, Section 183-(b) Revision against order of Addl. Collector-Jamabandi Svt. 2057-60 reveals that non-petitioners are the recoraded khatedars of athe disputed lands- Tehsildar has evicted tahe petitioners from the dilsputed land belonging to upper caste by summary trial afater taking report of the Patwari, dt.21-02-2002-Application of the petitioners for temporary injunction has been rejected in the pending suit- Tehsildar has not commiatated any error in evicting the petitioners, member of upper caste, from the disputed land recorded in the khatedari of non-petitioners who are Scheduled Caste- Collector has rejected the appealafter complete scrutiny-Concuarret findings of the courts below is jurisdiction-No interference requird- Order of Addl. Collector confirmed.

4. आर.आर.डी. अप्रैल 2005 पेज– 38–40

Rajasthan Tenancy Act, Section 188,212- Revision against order of R.A.A.-Disputed land transferred by registered sale to non-petitioners-petitioners are Scheduled Caste and non-petitioners belong to upper caste- Sale made by a Scheduled Caste in favour of persons of upper caste is ab iniatio void and noat enforceable in law in vier of Section 42(b), R.T.Act and Section 23, Contract Act-possession of a person on the basis of void documents cannot be admiatted prma Facie-Petitioners are denying the physical possession of non- petitioners-Temporary injunction in favour of non-petitioners cannot be issued-Order of R.A.A., Set aside-Order of Asstt. Collector, Confirmed.

5. डी.एन.जे. (राज.) 2013(1) पेज– 304–305

Civil Procedure Code, 1908-O. 41, R. 27-Scope of – Application filed under O. 41, R. 27 cannot be decided by Appelant Court during the pendency of appeal and same is required to be decided at athe atime of final hearing of the appeal.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित आराजी आवंटी लूणाराम के नाम से है। तहसीलदार पदमपुर के समक्ष आवेदन पत्र 183(बी) पूराराम पुत्र लूणाराम द्वारा पेश किया गया है,। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र 183 (बी) समस्त वारिसान द्वारा पेश नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट के पिता लूणाराम द्वारा दिनांक 02.09.1968 को अपीलांट के दादा सोहनलाल पुत्र श्री ठाकर राम को जरिये ईकरारनामा उक्त भूमि विक्रय कर दी गई थी। लूणाराम के द्वारा ईकरारनामा चक 78 एलएनपी के खाता संख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.036 हैक्टेयर पर क्रमशः सोहन लाल पुत्र श्री ठाकर राम को किया गया था जिसके अनुसार उनके वारिस (अपीलांट) काबिज काश्त है। तहसीलदार पदमपुर के समक्ष आवेदन पत्र 183(बी) पूराराम पुत्र लूणाराम द्वारा पेश किया गया है, न कि समस्त वारिसान द्वारा पेश किया गया है। उक्त विवादित भूमि आवंटी लूणाराम के कब्जा में नहीं रहने से उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकार लूणा राम के वारिसान के समाप्त हो गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 183 (ख) बेदखली हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार पदमपुर के समक्ष जुलाई 2022 मे पेश किया गया है जो मियाद बाहर है क्योंकि अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा 02.09.1968 से चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 183 (ख) बेदखली हेतु कार्यवाही–रेस्पोडेन्ट ने 55 वर्ष 8 माह बाद बेदखली हेतु आवेदन पेश किया– मियाद 12 वर्ष है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने निम्नलिखित नजीर पेश की है :–

1. आर.आर.डी. 1984 पेज– 821 से 829

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Rajasthan Tenancy Act, Section 183,183B,42(b)& 63(1)(iv) and Sl.Nos. 23 & 68 C of III Sche.-Limitation Act, Sec.9-Cause of action- Suit land, sold by 'R' member of S.C. on 24-5-66 ato deft (non-member of S.C.), put into possession same day- Suit , filed on 6-10-80 by heirs of 'R' when they demanded possession in may , 80 from deft. who refused which gave cause of action- Held , possession of transferee, not permissive buat that of a trespasser from date of sale in contravention of Sec. 42(b)—Cause of action for suit u/s 183 would arise from date of transfer itself if possession, delivered and not farom date when possession, demanded and refused.

2.आर.आर.डी. 1994 पेज– 773 से 775

(b) Section 183B—Land sold in 1957 and 1963 by tenant belonging to scheduled caste to person not belonging to Scheduled Caste—No relief could be granted on application for ejectment filed in 1989 which was barred by limiatation. (para -5)
अधिवक्ता जिलाधीश के आदेश दिनांक 09.04.1992 से यह सिद्व है कि अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा दिनांक 11.9.1957 एवं 31.05.1963 को विवादित भूमि का हस्तान्तरण प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया। यह प्रश्न कि यह विक्रय–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत है अथवा नहीं इस स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं है। अप्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183–बी जो कि उन्होने 23.06.1989 को प्रस्तुत कियाय वह स्पष्टतया समय अवधि के बाहर था, क्योंकि अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण ने विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सात–आठ साल पहले जबरन कब्जा किया, जबकि तहसीलदार द्वारा विस्तृत जांच के अनुसार यह पाया कि प्रार्थीगण का कब्जा विवादित भूमि पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व से ही था और इसी आधार पर अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को समयवधि के बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया। अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष भी अप्रार्थीगण जो कि अपीलार्थीगण थे, ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे कि उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सकें।

3.आर.आर.टी 2003(1) पेज– 207 से 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 183 ख –बेदखली हेतु कार्यवाही– प्रार्थी के पिता ने 05.02.1963 को जरिये रजि. विक्रय पत्र भूमि अप्रार्थीगण को बेची तथा कब्जा सुपुर्द किया–धारा 42 में संशोधन 1964 में प्रभाव में आया तथा यह भूतलक्षी नहीं था– कब्जा अन्तरण की तिथि से वाद कारण उत्पन्न होता है– प्रार्थीगण ने 29 वर्ष बाद बेदखली हेतु आवेदन पेश किया–मियाद 12 वर्ष है तथा आवेदन काल बाधित होने से खारिज किया– धारा 175 के अधीन भी कार्यवाही प्रारम्भ की जिसमें प्रार्थी का पिता भी पक्षकार था तथा यह 'आर आर' के पक्ष में निर्णीत हुई– अभिनिर्णीत , अपर कलेक्टर ने बेदखली का आदेश सही अपास्त किया है तथा किसी अवैधता से ग्रसित नहीं है।

4.आर.आर.टी 2019 (1) पेज– 281 से 284

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 183 बी –अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि से अतिक्रमी की बेदखली –तहसीलदार ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया किन्तु अतिरिक्त कलेक्टर ने आदेश अपास्त किया– 'आर' के वारिसान ने वर्ष 1973 में भूमि अप्रार्थीगण को बेचान की और तब से वे भूमि के कब्जे में है और उन्हें अतिक्रमी नहीं माना जा सकता– पूर्व में धारा 183 बी के अन्तर्गत पेश प्रार्थना पत्र खारिज किया – धारा 175 के अन्तर्गत भी वाद लम्बित है–निर्णीत आदेश में अवैधता नहीं है।

5.अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 08.11.2011 अनवानी हजूर सिंह , गुरमुख सिंह वगैरा बनाम गुरमीत कौर वगैरा

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताना था जो नहीं बताया एवं ना ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल ईकरारनामा Ex. नहीं करवाया गया है अब अपीलांट अपीलीय न्यायलय में मूल ईकरारनामा Ex. नहीं करवा सकते जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा यह साबित करना था कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। अपीलाट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और इकरारनामा रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है जिसका अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी सूरत में आवेदन पत्र अपीलांट आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है। रेस्पोडेन्ट ने आवेदन पत्र मय मृतक लूणाराम का वारिसनामा प्रस्तुत किया। लूणाराम के समस्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावें । अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र बाबत लूणाराम के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया । पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण का प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों/दृष्टांतों के आलोक में परीक्षण किया गया। रेस्पोडेन्ट के पिता लूना राम पुत्र रावताराम जाति चमार निवासी घमडिया तहसील पदमपुर ने जरिये इकरारनामा दिनांक 02.09.1968 द्वारा चक 78 एलएनपी के खाता संख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि अपीलांट के पिता सोहनलाल पुत्र श्री ठाकर राम को बैय कर कब्जा दे दिया था। यद्यपि उक्त ईकरारनामा धारा 42 (बी) के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भ से प्रभावशून्य था तथा क्रेता को कोई कानूनी अधिकार उक्त इकरारनामे से प्राप्त नहीं होते। रेस्पोडेन्ट पुराराम पुत्र लूनाराम द्वारा दिनांक 18.07.2022 को तहसीलदार पदमपुर के न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार पदमपुर द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.2023 से प्रार्थना पत्र का निर्णय कर प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट को कब्जा देने के आदेश पारित किये। यहां यह तय किया जाना उचित है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट पूराराम पुत्र लूणाराम ने जिस भूमि के कब्जा की मांग की है, उस आराजी पर उनके अधिकार क्या है ? (माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद्व पीठ द्वारा आर.आर.डी. 1984 श्रीमती केसरबाई बनाम रामगोपाल (282) में यह निर्णीत किया गया है कि वाद कारण हस्तान्तरण की दिनांक व कब्जा की दिनांक से लागू होता है। आर.आर.टी. 2003(1) सूरजाराम व अन्य बनाम बीरबलराम व अन्य पेज–207 में निर्णीत किया गया है कि वाद कारण कब्जा हस्तान्तरण की दिनांक से लागू होता है। इसमें वादी ने 29 साल बाद बेदखली का प्रार्थना पत्र पेश किया था। मियाद 12 साल की मानी जाकर प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया गया। आरआरटी 2003(1) बाबूसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य पेज 102 में पारित निर्णय के पैरा 7 में विवेचना की है कि However since right ato recover possession remained with tenant, his right become subject to section 63(1)(4) of the tenancy act. If he fail , to sue for recovering possession within 12 years from the date of transferee under void transfer was put in possession , and his suit from recovering that possession has become treated by time. His tenancy right otherwise extinguishes interm of sec. 63(1)(4) of the Rajasthan trnancy Act. अपीलाधीन प्रकरण में लूणाराम द्वारा जरिये इकरारनामा से सोहनलाल पुत्र श्री ठाकर राम को दिनांक 02.09.1968 को कब्जा क्रेतागण को दे दिया था। अतः वादकरण 02.09.1968 को पैदा हो गया। बेदखली का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को पेश किया गया जो करीब 55 वर्ष 8 माह बाद पेश किया है। बाबूसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य आरआरटी 2003(1), सूरजाराम व अन्य बनाम बीरबलराम व अन्य, आर.आर.डी. 1984, पेज 821

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीमती केसरबाई बनाम रामगोपाल में पारित निर्णयों की रोशनी में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लूणाराम जाति **चमार (एस.सी.)** द्वारा इस इकरारनामा के 55 वर्ष 8 माह बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। यद्यपि ईकरारनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के उल्लघंन होने से प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य था, लेकिन इकरारनामा दिनांक 02.09.1968 से केता का अवैध कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के थर्ड शैड्यूल के पार्ट सैकेण्ड (प्रार्थना पत्र) के कम संख्या 68 सी में 183 बी के प्रार्थना पत्र की मियाद 12 वर्ष अंकित है, चूँकि प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र 55 वर्ष 8 माह बाद पेश किया है जो मियाद बाहर है। वादी के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (4) के तहत भी खातेदारी अधिकार समाप्त (Extinguishes) हो चुके हैं। इसलिए वादी 55 वर्ष 8 माह बाद पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार करते हुए तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2023 जिससे आराजी चक 78 एलएनपी के खाता संख्या 97/88 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.036 हैक्टेयर का कब्जा देने के जो आदेश दिये थे–उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसलीदार पदमपुर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)